जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 04.03.2023**

आज दिनांक 04.03.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री आर0के0 भारद्वाज** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे वाँछित बाल अपचारी गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सत्यजीत कुमार** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी मेंहदावल **श्री राजीव कुमार यादव** के निकट पर्यवेक्षण में **प्रभारी निरीक्षक थाना मेंहदावल श्री रविन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 47/2023 धारा 363 / 323 / 376 भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता दुर्गेश यादव पुत्र चन्द्रिका यादव निवासी जमोहरा टोला मदरहा थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त बाल अपचारी द्वारा दिनांक 19.02.2023 को वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था जिसके संबंध मे वादी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 04.03.2023 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री लालजी यादव, का0 धर्मेन्द्र यादव, का0 श्रवण यादव।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 16 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3314 द्वारा विवाद /मारपीट को कराया गया शान्त व मारपीट में घायल 03 महिलाओं को पहुंचाया गया अस्पताल– पीआरवी 3314 को थाना मेंहदावल क्षेत्रांतर्गत मिश्रौलिया से इवेन्ट संख्या 11048 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से 03 महिलाओं 1- साधना पुत्री राजपाल 2- संध्या पुत्री राजपाल 3- मीना पत्नी राजपाल निवासीगण मिश्रौलिया थाना मेहदावल जनपद सन्तकबीरनगर के घायल होने के संबंध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकार मारपीट घायल महिलाओं को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना मेंहदावल को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल महिलाओं को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ –आ0 मयंक शेखर राय, हो0चा0 विनोद पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 47 वाहनो से 39,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 04.03.2023 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 47 वाहनों से 39,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।